कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर रतवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001 हमाक. एफ–37/जेडीए/ले–आउट प्लान/2024/548 दनांक:– 15/02/2029 विनांक:– 15/02/2029

विद्य राजस्व ग्राम बासनी बाघेला के खसरा संख्या 91/5 रकबा 17077 वर्गमीटर में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा राजस्व ग्राम बासनी बाघेला के खसरा संख्या 91/5 रकबा 17077 बर्ममेटर में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन हेतु प्राप्त प्रकरण भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान) की बर्ममेटर वी बैठक दिनांक 08.02.2024 में प्रस्तुत किया गया है। विचार विमर्श उपरान्त प्रकरण को समिति द्वारा स्थर्त अनुमोदित किए जाने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा लिए गए निर्णय की प्रति सुलभ संदर्भ हेतु पत्र के साथ संलग्न प्रेषित की जा रही है, जिसका प्राधिकरण की वेबसाईट www. joda.rajasthan.gov.in पर भी अवलोकन किया जा सकता है।

अतः समिति द्वारा लिए गए निर्णय की पालना में वांछित दस्तावेज/शपथ पत्र व बिन्दुवार पूर्ति कर जनगत भूमि के संशोधित ले–आउट प्लान की प्रति प्राधिकरण में प्रस्तुत करें ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।

उप नगर नियोजक जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विनांकः- 15/02/2024

क्रमांकः एफ-37/जेडीए/ले-आउट प्लान/2024/549 प्रतिलिपी :- वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

01. उपायुक्त जोन-2, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधुपर। FININ उप नगर नियोजक जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

# LAY OUT PLAN OF KHASRA NO.-91/5, VILLAGE -BASNI BAGHELA, **TEH-LUNI, DIST. -JODHPUR(RAJ.)**

एजेण्डा संख्या ०३ :-बैठक दिनांक जोन राजस्व ग्राम खसरा संख्या रकबा प्रयोजन 17077 वर्गमीटर आवासीय योजना बासनी बाघेला 91/5 जोन–2 08.02.2024 श्री प्रेमचन्द पुत्र श्री हनुमानराम आवेदक राजस्व ग्राम बासनी बाघेला के खसरा संख्या 91/5 रकबा 17077 वर्गमीटर में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्। विषयः– समिति को अवगत करवाया गया कि : निर्णयः-1. आवेदित भूमि का भू—उपयोग मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है। आवासीय भू—उपयोग की डी. सी.आर. अनुसार 12 मीटर व उससे अधिक सडक मार्गाधिकार पर आवासीय योजना अनुज्ञेय है। 2. जोन चैकलिस्ट अनुसार तहसीलदार जोविप्रा एवं राजस्व तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार पहुंच मार्ग मौका अनुसार 100 फीट एवं रेकर्ड अनुसार 100 फीट दर्ज है। 3. जोन पटवारी की टिप्पणी पत्रावली के पैरा संख्या 14/एन अनुसार पत्रावली में वर्णित भूमि का सेटलमेंट नक्शा अनुसार सुपरईम्पोज पर मिलान किया गया है। खसरा संख्या 91 जो कि रास्ता हेतु समर्पित है। 4. आवेदित भूमि में से जोनल डवलपमेंट प्लान की 24 मीटर सडक गुजर रही है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत ले–आउट प्लान में जोनल डवलपमेंट प्लान की उक्त सडक का एलाईमेंट सही नही दर्शाया गया है अतः संशोधित मानचित्र अपेक्षित है। 5. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि के सामने से विद्युत लाईन गुजर रही है व भूमि मौके पर रिक्त है। 6. प्रश्नगत भूमि का 90⁄क का आदेश दिनांक 05.01.2024 को जारी किया गया है। (पृष्ठ सं 51 पर सलंग्न है।) 7. समिति द्वारा बैठक में निम्न तथ्य भी नोट किये गये:-i. आवेदित भूमि के सामने स्थित जोनल डवलपमेंट प्लान की 24 मीटर सड़क का अलाईनमेंट खसरा संख्या 91 की रास्ते हेतु समर्पित भूमि के समानान्तर किये जाने तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की भूमि में से मुख्य सड़क से लिंक करने का सुझाव जोन उपायुक्त द्वारा दिया गया। ii. जोन उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि जोनल डवलपमेंट प्लान की 24 मीटर सड़क का अलाईनमेंट आवेदित भूमि में खसरा संख्या 91 की रास्ते हेतु समर्पित भूमि के समानान्तर किये जाने पर अन्य खातेदारों तथा समीपीय खसरान की भूमियां उक्त सड़क से प्रभावित नहीं होती हैं। उक्तानुसार जोनल डवनपमेट प्लान में प्रस्तावित सड़क अलाईनमेंट व नवीन प्रस्तावित अलाईनमेंट दोनो स्थितियों में आवेदक की भूमि ही प्रभावित होती हैं। मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान जयपुर के पत्र कमांक टी.पी.आर. 8283 / (से. प्लान / जोनल प्लान) / 2021 / 12327–12350 iii. दिनांक 29.10.2021, पत्र कमांक टी.पी.आर: 1121 / एम.पी / ओ.एस / जोधपुर जोन / सांचौर / 2287 दिनांक 10.03.2022 एवम् पत्र कमांक टी.पी.आर. 1115/एपमी/आब्ररोड/पार्ट-11/2629 दिनांक 23.03.2022 को प्रदत्त मार्गदर्शन अनुसार मास्टर प्लान में प्रस्तावित सडक मार्गाधिकार के एलाईमेंट में विद्यमान आबादी एवं मौका की परिस्थितियों के अनुसार सडकों के एलाईमेंट में आंशिक परिवर्तन किया जाना मास्टर प्लान में संशोधन की श्रेणी में नही आता है। iv. जोन उपायुक्त के सुझाव अनुसार उक्त जोनल डवलपमेंट प्लान की सड़क का अलाईनमेंट खसरा संख्या 91 की रास्ते हेतु समर्पित भूमि के समानान्तर किये जाने से जोनल प्लान सड़क का प्रभावी कियान्वन संभव होगा तथा बेहतर सड़क प्रतिरूप विकसित हो सकेगा। समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तो के साथ ले-आउट प्लान अनमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:--1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग की चौड़ाई 100 फीट आरक्षित रखी जावे एवं सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से निशुल्क समर्पित करवायी जावे। आवेदित भूमि को खसरा संख्या 91/6 की उपरोक्त एजेन्डा संख्या 02 की भूमि में से भी 24 मीटर रास्ता उपलब्ध हो रहा हैं जिसकी सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावे। 2. समिति द्वारा नोट किये गये उपरोक्त बिन्दु संख्या 7. i) से iv) तक के मद्देनजर आवेदित भूमि में से गुजर रही जोनल डक़लवमेंट प्लान की 24 मीटर सड़क का अलाईनमेंट समिति द्वारा उक्त सड़क का अलाईनमेंट खसरा संख्या 91 की रास्ते हेर्तु समर्पित भूमि के समानान्तर किये जाने उपरान्त अलाईनमेंट A से B मार्क अनुसार ले–आउट प्लान जारी किये जाने की स्वीकृति समिति द्वारा सर्वसम्मति से दी गयी। A 882 12001-41411 \_\_\_\_\_ वरिष्ठ नगर मियोजक 21/02/2024 वारण गणा प्राधिकरण जोधपुर विकास प्राधिकरण सहायक नगरं, जाधपुर विकास प्राधिकरण चोधपुर जोधपुर

EXISTING

0

B

100


-


m m

100 8

UND

M





- 3. क्षेत्र के सुनियोजित विकास, विकास को गति देने के उद्वेश्य से (to trigger the development) इत्यादि एवम मास्टर / जोनल डवलपमेंट प्लान-2031 की 24 मीटर प्रस्तावित सड़क की कियान्विति (Implementation & Execution) हेतु जोन उपायुक्त के सुझावों को समिति द्वारा सर्वसम्मति से पारित करने का निर्णय लिया गया। उपरोक्तानुसार जोनल डवलपमेंट प्लान-2031 की 24 मीटर प्रस्तावित सड़क के एलाईमेंट में संशोधन के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा आपत्ति/सुझाव हेतु 15 दिवस की आम-सूचना जारी की जावें। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर प्रार्थी की भूमि में से सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि जोविप्रा के हक में निःशुल्क समर्पित की जाकर ले-आउट प्लान जारी किया जावें। आपत्ति प्राप्त होने पर निदेशक आयोजना एवम् जोन उपायुक्त स्तर से आपत्ति का निस्तारण किया जावें। आपत्ति का निस्तारण/खारिज होने पर समिति में लिए गए निर्णय सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें। आपत्ति का निस्तारण नही होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।
- 4. आवेदित भूमि एवं मुख्य सड़क के मध्य स्थित जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की भूमि में से आवेदित भूमि में आवागमन हेतु PHED के पत्र क्रमांक अअ/जिख–11/जो/त.स./2023–2024/2178 दिनांक 08.09.2023 जरीये अनापत्ति के कम में जोनल डवलपमेंट प्लान की सड़क को culvert द्वारा मुख्य सड़क लिंक किया जावे।
- 5. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर पर ली जावें। 6. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों एवम् नियोजन को दृष्टिगत रखते हुए समिति के अन्य सुझावों का समावेश करते हुए ले--आउट प्लान जारी किया जावें।
- 7. योजना का क्षेत्रफल 2 है0 से कम है, अतः भविष्य में योजना की आवश्यकता अनुसार योजना में पार्क की भूमि पर Overhead Water Tank का निर्माण विशेष परिस्थिति में जोन उपायुक्त व निदेशक अभियांत्रिकी की स्वीकृति उपरान्त किया जा सकेगा। 8. रेरा अधिनियम 2017 के तहत राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी (रेरा) द्वारा दिनांक 14.03.2023 एवं इस संबंध में समय समय पर जारी आदेशो अनुसार निजी खातेदारी, निजी विकासकर्ता की उक्त प्लॉटेड योजना (Plotted Development Project) में योजना का रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाया जाना अनिवार्य हैं एवं उक्त की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावे। 9. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज् में विकय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफ्रल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
- 10. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की सम्प्रत जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ—पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा ज़ारी किया जावें। 11. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व जोविप्रा जोधपुर से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे। 🕖

and.

AN.

10

**KEY-PLAN** NOTE:-ग्राम नासनी बांधेला के खान. 91/5 छा मलिल 20 27 1 Eris 4-12:23 3) By अपर रस्पोज प्लान दि मिलाम छर छनाईो, छो A से F अंदिल ७२ सत्यापन छियान 19/2/24 Tik / and 1 177191 **AREA ANALYSIS** AREA SQ. AREA SQ. AREA SR.NO. % MTR. FEET RESIDENTIAL 109007.69 10127.16 59.30 1 855.91 5.01 2 PARK 9212.92 S.W.M & M.T. 75.74 0.44 815.23 3 6018.94 ROAD 64787.36 35.25 4 17077.75 183823.20 **TOTAL AREA** 100.00 **ARCHITECT SEAL & SIGN.:-**ILYAS MOHAMMAD (Architect, Urban & Regional Planner) COA No:- CA/2016/75243 ITPI Membership No:- 2020 - 175 SCALE :-1"=50'

## कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर



रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर-342001 email- jdajodhpur-rj@gov.in\_रेव-साईट joda.rajasthan.gov.in Phone No 0291-2612086/265635-7 Fax 0291-2612086

क्रमांकः F37(3) / नि.आ. / बीपीसी(एल.पी.) / का.वि. / 2024 / 466

दिनांक :- 13 62 2027

### --:कार्यवाही विवरणः--

विषयः— भवन मानचित्र समिति जोन-2 (ले-आउट प्लान) की 5/2024 की बैठक दिनांक 08.02.2024 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, इसमें प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट–"1" पर है।

एजेण्डा संख्या ०१ :--

विषयः— भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (ले–आउट प्लान) की जोन–2 की 02/2024 वीं बैठक दिनांक 31.01.2024 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

निर्णयः— समिति द्वारा विचार-विमर्श उपरांत गत बैठक के कार्यवाही विवरण की सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।

एजेण्डा संख्या 02 :--

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन		
	• · · · · · ·			e (Lister de la constante de la			
08.02.2024	जोन–2	बासनी	91/6	19550.30	आवासीय योजना		
		बाघेला		वर्गमीटर			
आवेदक		श्री अशोक कुमार, श्री धन्नाराम, श्री सेठाराम पुत्रान् श्री किशनाराम, श्रीमती ढ़लकी पत्नी					
-		किशनाराम एवं ज्योति देवी पुत्री श्री किशनाराम					
विषयः—		राजस्व ग्राम् बासनी बाघेला के खसरा संख्या 91/6 रकबा 19550.30 वर्गमीटर में आवासीय					
25		योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।					
निर्णयः—		समिति को अवगत करवाया गया कि : 01. आवेदित भूमि का भू–उपयोग मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ					
					नुसार आवासाय प्रयोजनाय 12 मीटर व उससे अधिक		
ドロ語ス			भू—७५याग का ७ आवासीय योजना		12 माटर प उत्तत जावपग		
and the second	02 जोन	नानाविकार पर चैकलिस्ट अनसा	जापाराव पाजना र तहसीलदार जोवि	्णुराप रा पा एवं राजस्व तह	सीलदार की रिपोर्ट अनुसार		
1.425.21	02. जा । प्रहंच	मार्ग मौका अनर	गर 30 फीट एवं रे	कर्ड अनसार दर्ज	नही है। जोनल डवलपमेंट		
and a specific second second			100 फीट रोड से				
The second	03. जोन	पटवारी की टिप्प	णी पत्रावली के पैर	रा संख्या 13/एन	अनुसार पत्रावली में वर्णित		
ाक है हजा	भूमि का सेटलमेंट नक्शा अनुसार सुपरईमपोज कर मिलान किया गया है। खस						
	संख्या 91 जो कि रास्ता हेतु समर्पित है।						
15前日四南日。	04. आवेदित भूमि में से जोनल डवलपमेंट प्लान की 24, 30 मीटर सडक गुजर रही है						
and the second	जिसे मानचित्र में दर्शाया गया है।						
	05. जोन चैकलिस्ट अनुसार आवेदित भूमि में से कोई विद्युत लाईन नहीं गुजर रही है व						
a de main	भूमि मौके पर रिक्त है।						
IPP Stip 50	06. प्रश्नगत भूमि का 90/क का आदेश दिनांक 05.01.2024 को जारी किया गया है।						
ALTE C WARD	(पृष्ठ स ३० पर सरामा २)						
। क्रिया गाया	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरान्त						
	निम्नलिखित शर्तो के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः- 01. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग का मार्गाधिकार जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार						
The superior	01. आवेदि	त भूमि को उपल	नब्ध पहुंच मांग का न नरे नर्ने नर्ने	मांगाधिकार जान - क्रांग के 45 की	ल डवलपमट प्लान अनुसार		
13 1 M 1 M 1	30 मीटर आरक्षित रखा जावेँ एवं सड़क मध्य से 15 मीटर भूमि सड़क मार्गाधिका हेतु प्रार्थी की भूमि में से निशुल्क समर्पित करवायी जावे। जिसकी सुनिश्चितता जोन						
			स ।नशुल्क समाप	त करवाया जाव।	เงิตนา ซูเกเรลแแ งเก		
	स्तर प	र की जावें।					

02. आवेदित भूमि में से गुजर रही जोनल डवलपमेंअ प्लान की अन्य 24 मीटर स योजना मानचित्र में दर्शाया जा कर संशोधित योजना मानचित्र प्राप्त कर जा	$\dot{a}$
। <u> </u>	म तिसा ।
याजना मानाचत्र म दशाया जो कर संशाधित योजनी ने गुलस् हुआ ज	(1979)
े जाते। जन्म की सनिष्टित्वता निदेशक आयोजिनी द्वर्शि की जीव	
03. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन	स्तर पर
ली जावें।	
04. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों एवम् नियोजन को दृष्टिगत रखते हुए	समिति
के अन्य सुझावों का समावेश करते हुए ले–आउट प्लान जारी किया जावें।	
05. योजना का क्षेत्रफल 2 है0 से कम है, अतः भविष्य में योजना की आवश्यकता	अनसार
05. याजना का क्षेत्रफल 2 ह0 स कम ह, अतः मावष्य म याजना का जापरपंपरा	्राति में
योजना में पार्क की भूमि पर Overhead Water Tank का निर्माण विशेष परिषि	
जोन उपायुक्त व निदेशक अभियांत्रिकी की स्वीकृति उपरान्त किया जा सकेग	\
06. रेरा अधिनियम 2017 के तहत राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी (रेर	
दिनांक 14.03.2023 एवं इस संबंध में समय समय पर जारी आदेशो अनुसा	ानजा
	oment
Project) में योजना का रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाया जाना अनिवार्य हैं एवं उ	क्त की
सनिष्चितता जोन उपायक्त द्वारा की जावे।	
े	ल के
12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको अ	न्तरिक
ि जिसाम कार्य गाँ होने की सनिष्ठितता के उपरान्त रहन मक्त किया जविगा।	
08. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं मार्टि	लेकाना
08. उक्त प्रस्तावत नून स सम्बाधत जेव राजरेष प्रतास गए के इस बाबत् शप हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शप	थ–पत्र
हिंक की समस्त जिम्मदारा प्राथा की स्पय की होगा। प्राया से रस करते के लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय	नें कोई
लिया जाव कि प्रश्नगत मूनि पर काई विवाद गढ़ा है जार मा स्व	किया
विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी	
जावें।	ानचित्र
09. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व जोविप्रा जोधपुर से भवन म	11197
अनुमोदित करवाने होंगे।	

एजेण्डा संख्या 0	एजेण्डा संख्या ०३ :						
बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा			
	जोन–2	बासनी	91/5	17077	आवासीय योजना		
08.02.2024	0114-2	बाघेला		वर्गमीटर			
आवेदक	श्री प्रेमचन्द पुत्र श्री हनुमानराम						
विषयः—	श्री प्रेमचन्द पुत्र श्री हनुमानरान राजस्व ग्राम बासनी बाघेला के खसरा संख्या 91/5 रकबा 17077 वर्गमीटर में आवासीय						
	गोजना पयोजनार्थ अनुमोदन बाबत्।						
	00		ग गगा कि '				
निर्णयः—	समिति को अवगत करवाया गया कि :						
	समिति का अवगत करवाया गया पर 1. आवेदित भूमि का भू-उपयोग मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ 1. आवेदित भूमि का भू-उपयोग मास्टर डवलपमेंट प्लान अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ						
	आरक्षित है। आवासीय भू–उपयाग की डा.सा.आर. अनुसार 12 भाउर प उससे आपने						
김 사람이는 것이 없는 것							
and the second					स्व तहसीलदार की रिपाट		
이 문제 같은 것이 안	सडक मार्गाधिकार पर आवासाय योजना जुरूने हो। 2. जोन चैकलिस्ट अनुसार तहसीलदार जोविप्रा एवं राजस्व तहसीलदार की रिपोर्ट 2. जोन चैकलिस्ट अनुसार तहसीलदार गोविप्रा एवं रेकर्ड अनुसार 100 फीट दर्ज है।						
	2. जोन चैकलिस्ट अनुसार तहसालदीर जाविप्री एवं रोजरेप राजरेप स्थास के अनुसार पहुंच मार्ग मौका अनुसार 100 फीट एवं रेकर्ड अनुसार 100 फीट दर्ज है। अनुसार पहुंच मार्ग मौका अनुसार 100 फीट एवं रेकर्ड अनुसार प्रवावली में						
3	अनुसार पहुंच मार्ग मोकी अनुसार 100 फोट एवं एक अनुसार पत्रावली में 3. जोन पटवारी की टिप्पणी पत्रावली के पैरा संख्या 14/एन अनुसार पत्रावली में						
	ज्यानि भूमि का सेटलमेट नक्सी अनुसार सुपरंभगण पर गराग गया गया ग						
	4. आवेदित भूमि में से जानले उपलेगांट साम में जोनल डवलपमेंट प्लान की उक्त सडक						
1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	4. आवेदित भूमि में से जानल डवलपमट प्लान पर्ग 24 नाउर राजम यु में से जानल डवलपमेंट प्लान की उक्त सडक आवेदक द्वारा प्रस्तुत ले–आउट प्लान में जोनल डवलपमेंट प्लान की उक्त सडक						
	ि में नहीं नहीं त्यांग गया ह अतः संशायत गणायत जगवति ए।						
	का एलाइमट सहा गहा परावा नवा एक सामने से विद्युत लाईन गुजर रही है व						
	भूमि मौके पर रिक्त है।						
	न्ताग						


6. प्रश्नगत भूमि का 90 / क का आदेश दिनांक 05.01.2024 को जारी किया गया है। (पृष्ठ सं 51 पर सलंग्न है।)

#### 7. समिति द्वारा बैठक में निम्न तथ्य भी नोट किये गये:--

- i. आवेदित भूमि के सामने स्थित जोनल डवलपमेंट प्लान की 24 मीटर सड़क का अलाईनमेंट खसरा संख्या 91 की रास्ते हेतु समर्पित भूमि के समानान्तर किये जाने तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की भूमि में से मुख्य सड़क से लिंक करने का सुझाव जोन उपायुक्त द्वारा दिया गया।
- ii. जोन उपायुक्त द्वारा अवगत करवाया गया कि जोनल डवलपमेंट प्लान की 24 मीटर सड़क का अलाईनमेंट आवेदित भूमि में खसरा संख्या 91 की रास्ते हेतु समर्पित भूमि के समानान्तर किये जाने पर अन्य खातेदारों तथा समीपीय खसरान की भूमियां उक्त सड़क से प्रभावित नहीं होती हैं। उक्तानुसार जोनल डवनपमेट प्लान में प्रस्तावित सड़क अलाईनमेंट व नवीन प्रस्तावित अलाईनमेंट दोनो स्थितियों में आवेदक की भूमि ही प्रभावित होती हैं।
- मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान जयपुर के पत्र कमांक टी.पी.आर. 8283/(से. प्लान/जोनल प्लान)/2021/12327–12350 दिनांक 29.10.2021, पत्र कमांक टी.पी.आर.1121/एम.पी/ओ. एस/जोधपुर जोन/सांचौर/2287 दिनांक 10.03.2022 एवम् पत्र कमांक टी.पी.आर. 1115/एपमी/आबूरोड/पार्ट-11/2629 दिनांक 23.03.2022 को प्रदत्त मार्गदर्शन अनुसार मास्टर प्लान में प्रस्तावित सडक मार्गाधिकार के एलाईमेंट में विद्यमान आबादी एवं मौका की परिस्थितियों के अनुसार सडकों के एलाईमेंट में आंशिक परिवर्तन किया जाना मास्टर प्लान में संशोधन की श्रेणी में नही आता है।
- iv. जोन उपायुक्त के सुझाव अनुसार उक्त जोनल डवलपमेंट प्लान की सड़क का अलाईनमेंट खसरा संख्या 91 की रास्ते हेतु समर्पित भूमि के समानान्तर किये जाने से जोनल प्लान सड़क का प्रभावी कियान्वन संभव होगा तथा बेहतर सड़क प्रतिरूप विकसित हो सकेगा।

समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तो के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- 1. आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुँच मार्ग की चौड़ाई 100 फीट आरक्षित रखी जावे एवं सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से निशुल्क समर्पित करवायी जावे। आवेदित भूमि को खसरा संख्या 91/6 की उपरोक्त एजेन्डा संख्या 02 की भूमि में से भी 24 मीटर रास्ता उपलब्ध हो रहा हैं जिसकी सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावे।
- 2. समिति द्वारा नोट किये गये उपरोक्त बिन्दु संख्या 7. i) से iv) तक के मद्देनजर आवेदित भूमि में से गुजर रही जोनल डवलवमेंट प्लान की 24 मीटर सड़क का अलाईनमेंट समिति द्वारा उक्त सड़क का अलाईनमेंट खसरा संख्या 91 की रास्ते हेतु समर्पित भूमि के समानान्तर किये जाने उपरान्त अलाईनमेंट A से B मार्क अनुसार ले–आउट प्लान जारी किये जाने की स्वीकृति समिति द्वारा सर्वसम्मति से दी गयी।



3

	a at a manda and a provide a man at the trigger the
	3. क्षेत्र के सुनियोजित विकास, विकास को गति देने के उद्वेश्य से (to trigger the
	development) इत्यादि एवम् मास्टर / जोनल डवलपमेंट प्लान-2031 की 24 मीटर
	प्रस्तावित सड़क की कियान्विति (Implementation & Execution) हेतु जोन
a distance in the	उपायुक्त के सुझावों को समिति द्वारा सर्वसम्मति से पारित करने का निर्णय लिया
an phat that is	गया। उपरोक्तानुसार जोनल डवलपमेंट प्लान–2031 की 24 मीटर प्रस्तावित सड़क
Capital Table	के एलाईमेंट में संशोधन के संबंध में जोन उपायुक्त द्वारा आपत्ति/सुझाव हेतु 15
	दिवस की आम–सूचना जारी की जावें। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर प्रार्थी की
the second second	भूमि में से सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि जोविप्रा के हक में निःशुल्क समर्पित
and the factors	की जाकर ले–आउट प्लान जारी किया जावें। आपत्ति प्राप्त होने पर निदेशक
가지 않는 것 같아?	
14 (14 (14 (14 (14 (14 (14 (14 (14 (14 (	आयोजना एवम् जोन उपायुक्त स्तर से आपत्ति का निस्तारण किया जावें। आपत्ति
	का निस्तारण/खारिज होने पर समिति में लिए गए निर्णय सडक मार्गाधिकार हेतु
$A^{(1)} = \frac{1}{V} \frac{1}{V} \frac{1}{V}$	आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायों
114212	जावें। आपत्ति का निस्तारण नही होने पर प्रकरण को आगामी बैठक में प्रस्तुत किया
	जावे ।
	4. आवेदित भूमि एवं मुख्य सड़क के मध्य स्थित जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की
	भूमि में से आवेदित भूमि में आवागमन हेतु PHED के पत्र क्रमांक
	अंअ / जिख—II / जो / त.स. / 2023–2024 / 2178 दिनांक 08.09.2023 जरीये
the second s	अनापत्ति के कम में जोनल डवलपमेंट प्लान की सड़क को culvert द्वारा मुख्य
	सड़क लिंक किया जावे।
	5. मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानुसार नियमानुसार राशि जोन स्तर
E Is Alex	9. मुख्यमंत्री अपास पाठामा 2013 के प्रापंतापुरास मिकायुरास के के कि जाये।
ा जावी होता	6. टाउनशिप पॉलिसी 2010 के प्रावधानों एवम् नियोजन को दृष्टिगत रखते हुए समिति
	<ol> <li>ठाउनांशप पालिसा 2010 के प्राप्यांना एपन् गियांजन प्रा पृत्य पर एवस डुर सा गय के अन्य सुझावों का समावेश करते हुए ले–आउट प्लान जारी किया जावें।</li> </ol>
	क अन्य सुझावा का समावश करत हुए ल-जाउट प्यान जाता किया जाया
- S MERGER	7. योजना का क्षेत्रफल 2 है0 से कम है, अतः भविष्य में योजना की आवश्यकता अनुसार
and Bridge of	योजना में पार्क की भूमि पर Overhead Water Tank का निर्माण विशेष परिस्थिति में
	जोन उपायुक्त व निदेशक अभियांत्रिकी की स्वीकृति उपरान्त किया जा सकेगा।
a de calatina	8. रेरा अधिनियम 2017 के तहत राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी (रेरा)
	द्वारा दिनांक 14.03.2023 एवं इस संबंध में समय समय पर जारी आदेशो अनुसार
가 2일 때 가지 않는	निजी खातेदारी, निजी विकासकर्ता की उक्त प्लॉटेड योजना (Plotted
- 65 J.C. 198	Development Project) में योजना का रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाया जाना आनवाय
	🕈 एनं उन्हें की सनिषिचतता जोन उपायक्त द्वारा की जीव
e fa frikker	ू िर्मानसमूख आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विकय योग्य क्षेत्रफल के
	10 ट मनिषान क्षेत्राप्तन के बराबर भरवण्ड रहने में रख जीने हे जिनकी आन्तरिक
	ि
	भाषध—पत्र लिया जाय ये प्रशास कूल गर गर गए भाषय—पत्र लेकर ही पट्टा में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ—पत्र लेकर ही पट्टा
1. 1. 1. 1.	
	जारा कियों जीवे। 11. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व जोविप्रा जोधपुर से भवन मानचित्र
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	अनुमोदित करवाने होंगे।

उक्त कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं।


उप नगर नियोजक (द्वितीय) एवं सदस्य सचिव भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

#### क्रमांकः F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2024/967 — ५२४ दिनांक:- 13/02/2027 प्रतिलिपी :- निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। 01. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ। 02. निजी सचिव, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ। 03. निदेशक (अभियांत्रिकी/आयोजना), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ। 04. उपायुक्त (जोन-2), जो.वि.प्रा., जोधपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु । 05. एसीपी / एनआईसी शाखा को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की वेब्साईट पर अपलोड करने का श्रम करें। 13/02/2024 उप नगर नियोजक (द्वितीय) एवं सदस्य सचिव भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.) जोधपूर विकास प्राधिकरण, जोधपुर परिशिष्ट–"1" भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान) की 05/2024 की बैठक दिनांक 31.01.2024 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:-अध्यक्ष 1. श्री उत्साह चौधरी, आयुक्त, जो.वि.प्रा., जोधपुर। 2. डॉ हरितीमा, सचिव, जो.वि.प्रा. जोधपुर। सदस्य श्री महेन्द्र चौधरी, निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर | सदस्य श्री राकेश परिहार, निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा. जोधपुर। सदस्य श्री राजपाल यादव, उपायुक्त (जोन–2) जो.वि.प्रा. जोधपुर सदस्य श्री गणपत लाल सुथार, उप नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर। सदस्य सचिव 6. उप नगर नियोजक (द्वितीय) एवं सदस्य सचिव भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

50

í

5



Con and you नाम मुद्रांक विक्रेता मोहम्मद इल्लान कला पन घरण 02/2012, जोधपुर रजि. क्र. सं. 2971. 6. 24 2024 मु ज्यून कम सं. भुः क्रेता का गण जिन्दन्द भुः क्रेता का गण जिन्दन्द पता बिन्दा लापुट्टा बेजानगर द्वालाग्राट, जा पयोजन हस्ते कम की बदा में हु का नाग पता. मुद्राव विवृत्तक हस्ताक्षर कचर 1 परिसर, जोधकु केता ' हस्युम्दि सङ्ख हेतु जारो प्रमाणित फोडो प्रति कोधपुर चिकास प्राधिकायः जोधपुर the second s 1

 यह है कि प्रथम पक्षकार की खरीदसुदा, खातेदारीसुदा, कब्जासुदा कृषि भूमि ग्राम बासनी बाघेला के खसरा नं. 91/5 रकबा
 17077 वर्गमीटर तहसील व जिला जोघपुर में आई हूई है।

2– यह है कि उक्त कृषि भूमि को आवासीय में रूपांतरित करवाने हेतु मुझ प्रथम पक्षकार जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में आवेदन कर रखा है, जिसके प्रकरण संख्या 1021.01 / 2023-14 है, उक्त भूखण्डों को आवासीय में नक्शा जे.एल.सी. मीटिंग में दिनांक 08.02.2024 को स्वीकृत किया जा चुका है, जिसका नियमन आदेश राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90–क के अधीन नियमन आदेश दिनांक 02.08.2023 को उपायुक्त (जोन–2) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा किया जा चुका है।

3– यह है कि टाउनशिप पॉलिसी में निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप आन्तरिक विकास कार्य के बाबत् 12.5 प्रतिशत भूखण्ड द्वितीय पक्षकार के पास रहन रखे जाने है। इस आवासीय कॉलोनी में आन्तरिक TAR मेक्स कार्य टाउनशिप पॉलिसी 2010 एक्ट के नियम 12 के अधीन (NH PRAKASH BISHIC) विकास कार्य टाउनशिप पॉलिसी 2010 एक्ट के नियम 12 के अधीन (NH PRAKASH BISHIC) विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है अन्यथा नियमानुसार पेनल्टी भुगतान (NOCATE ) ODHOUR (RAJ.FRI) तैयार है उक्त समयावधि में आन्तरिक विकास नही करने पर (Reg.NC 13865 ) 910212029

> यह है कि उक्त खसरा नम्बर 91 ∕ 5 के अनुमोदित ले–आउट प्लान में से 12.5 प्रतिशत भुखण्ड का विवरण निम्न है :–



भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का क्षेत्रफल	
22,40,41,42,43,	1530.22 allud	हेतु जारी प्रमाणि दुर्यु जपायुव
,		जोवपूर वि

फोटो प्रति

ম সাধিকৰ মগৰ

5— यह आवासीय योजना 2 हैक्टर तक ही है। इसमें आन्तरिक विकास 1) वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा यदि उक्त समयावधि में आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण नही होने पर ULB 10 प्रतिशत प्रचलित कनवरसेशन चार्ज वसूल कर कार्य हेतु 2 वर्ष की समय सीमा बढ़ा दी जायेगी।

NOTARY, JODHPUR

6- यह है कि उपरोक्त वर्णित सारणी के भूखण्डों को मै प्रथम पक्षकार टाउनशिप पॉलिसी में निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप आन्तरिक विकास कार्य के बाबत् 12.5 प्रतिशत भूखण्डों के अन्तर्गत द्वितीय पक्षकार के पास रहन रख रहा हूँ।

यह है कि उक्त भूखण्डों को आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण करने अवधि तक के लिये रहन रखा गया है। जो आन्तरिक विकास र्धि पूर्ण होने के पश्चात् द्वितीय पक्षकार द्वारा नियुक्त कर्मचारी की ADVOCATE OP JODHOUR (RAJ.) Reg.No. 13865 R EXPIRY DATE पोर्च के पश्चात् द्वितीय पक्षकार रहन मुक्त कर सकेंगे तत्पश्चात् ही 12.5 प्रतिशत भूखण्डों के पट्टे प्रथम पक्षकार प्राप्त करने के Bay हिंकारी रहेंगे।

OTAR

RAKASH BISHNO


07/02/2029

लिहाजा यह रहननामा प्रथम पक्षकार ने द्वितीय पक्षकार के हक में राजी खुशी, अकल होशियारी से, बिना किसी नशे पते एवं बिना किसी दबाव के, पढ़कर, सुनकर, समझकर निष्पादित कर दिया है जो लिखे माफिक सही है व सनद रहे तथा वक्त जरूरत काम आवें।



ह. प्रथम पक्षकार

ENTERED IN NOTARY EGISTER AT SERIAL of 24/02/21 No. 297 ATTESTED OM PRAKASH BISHNOI NOTARY, JODHPUR NOTAR बारी प्रसाणित कोटो प्रांत 24/02/24 वत (2) र विकास प्राधिकरण तावन জাঘদুৰ



नाम मुद्रांक विद्रोता कोट्रा ना १८७८ विद्रार ना १८७८/२०१२, जोधपुर मूहज विद्वे कर्लसीक्षर रूचा ) परिसर, जोधकु बकल हेतु जारी प्रमाणित कोठो प्रति अपायुवत ( ) मोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर 12 

यह है कि उक्त योजना में टाऊनशिप पॉलिसी 2010 (10 हैक्टेयर 2. 'तक) के प्रावधान 5.03 के तहत निर्धारित कार्य यथा– सीवरेज का कार्य, वर्षा, जल निकासी एवं ओवर हैड टैंक/पानी की टंकी का कार्य एवं अन्य समस्त आंतरिक विकास का कार्य हम विकासकर्ता/ खातेदार द्वारा स्वयं के खर्चे पर करवाया जायेगा। प्राधिकरण से इस बाबत् भविष्य में मांग नहीं की जायेगी, यू.एल.बी. के तहत निर्धारित DHOUR (RAJ.) Reg.No.13865 EXPIRY DATE संबंधित समस्त विकास कार्य हमारे द्वारा किया जायेगा।



Mydale

""""तस्दीककर्ता प्रजय हेतु जारी प्रमाणित के

6

ATTESTED

NOTARY, JODHPUR

उपायुवत ।

जोधप

जोधपुर विकास

sta

য়িক্ত

तस्दीक :--

ENTERED IN NOTARY REGISTER AT SERIAL

96

a standard and the standard and standard and the

0124102/24

OM PRAKASH BISHNOI NOTARY, JODHPUR

TARI

PRAKASH BISHNO

07/02/2029 ()}

5

ADVOCATE

मै प्रेमचंद पुत्र हड़मान जी, जाति कुम्हार, निवासी बिचलापुरा, तेजा नगर, झालामण्ड, जोधपुर वाला ऊपर क्रमांक 1 व 2 वर्णित सभी बाते अपनी अक्ल, होशियारी, बगैर नशे पते एवं बगैर किसी दबाव के, अपनी ईच्छा से लिख दिया है, जो सही व सनद है, ईश्वर मेरी सहायता करें।